न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अखिलेश कुमार पिपल (आर0ए0एस0)

अपील संख्या :— 183/2005 (223 आर0टी0एक्ट0)
आरसीएमएस संख्या :— 2005/00073

उनवान

1. गीता देवी पत्नी वावू सिंह } जाति गूजर नि0 बीनारायन गेट भरतपुर तह0 व जिला भरतपुर।
2. लक्ष्मी देवी पत्नी यादराम }
3. रघुनाथी पत्नी नवल सिंह जाति गूजर निवासी बुद्ध की हाट भरतपुर।

..................अपीलाण्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

बनाम

1. सरमन सिंह } पुत्र श्याम सिंह जाति सिक्ख नि0 वीस मोरा मौजा अघापुर हाल आबाद कुम्हेर
2. नक्षत्र सिंह } गेट भरतपुर।
3. अशोक कुमार } पुत्र कैलाशचन्द गोयल जाति वैश्य नि0 कमला रोड कुम्हेर गेट भरतपुर।
4. बृजमोहन }

.... रैस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2000 प्रकरण संख्या 179/88 उनवान सरमन सिंह बनाम नक्षत्र सिहं न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर।

अभिभाषकगण :—

1. श्री महाराज सिंह डागुर अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

दिनांक :—21.10.2021

निर्णय

1. यह अपील इस न्यायालय में सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय दिनांक 31.10.2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/रैस्पो0 संख्या 01 ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 240, 242, 243, 244, 237, 238, 241, 233, 236 वाके ग्राम अघापुर तहसील भरतपुर में स्थित है जिसमें वादी रैस्पो0 संख्या 01 व प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 नक्षत्र सिंह वाहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार हैं। उक्त विवादित आराजी हाल साविक खसरा नम्बर 200, 203, 206, 207, 187, 188, 204, 205, 206 से बने हैं। प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 02 नक्षत्र सिंह बहुत ही चालाक किस्म का व्यवित हैं। उसने सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी से मिलकर वादी के फर्जी हस्ताक्षर कर परिषोधन संख्या 16 भवा कर उसमें अच्छे खसरा नम्बर भरवाकर तथा अधिक रकवा वाले खसरा नम्बर दर्ज कराकर विभाजन दिनांक 12.07.1982 को करा लिया तथा अपना नाम राजस्व अभिलेख में इन्द्राज करा लिया एवं उक्त गलत इन्द्राजो के आधार पर

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज०)

रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी रैस्पो0 संख्या 03 व 04 के हक में कर दिया एवं रैस्पो0 संख्या 03 व 04 ने उक्त वयनामा के आधार पर विवादित आराजी को श्रीमती गीता देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी, श्रीमती रघुनाथी के नाम रजिस्टर्ड वयनामा कर दिया जो वादी रैस्पो0 संख्या 01 के हितो के विपरीत है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बावजूद सूचना रैस्पो0 हाजिर अदालत नहीं आये। उनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी * भरतपुर (राज0) *

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुये, बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। विवादित आराजी खसरा नम्बरान 237, 238, 241, 233, 236 के अपीलाण्ट खातेदार कृषक हैं इन खसरा नम्बरान को अपीलाण्ट ने रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 से भिन्न भिन्न विक्रयो पत्रो के द्वारा भिन्न भिन्न भू भाग को क्रय किया है। विक्रय पत्रो के आधार पर हम अपीलाण्ट के हक में विवादित आराजी बाबत् नामान्तकरण संख्या 177 व 178 स्वीकृत किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने हम अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित करने में भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0 संख्या 01 ने ऐसी कोई साक्ष्य पेश नहीं की है जिससे उसका दावा डिक्री जा सके। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट एवं रैस्पो0 संख्या 03 व 04 के हक में हुये विक्रय पत्रो को रैस्पो0 संख्या 01 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय को विक्रय पत्रो के संबंध में कोई निर्णय देने का क्षेत्राधिकार है। केवल दीवानी न्यायालय ही विक्रयपत्रो के संबंध में सुनवायी कर सकती है। इसके अलावा प्रकरण में हम पक्षकारो के मध्य राजीनामा भी हो गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने बहस अपीलाण्ट पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजीनामा का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध वयनामाओ के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाण्ट द्वारा विवादित आराजी को रैस्पो0 संख्या 02 लगायत 04 से क्रय किया है एवं उक्त विक्रय पत्रो के आधार पर अपीलाण्ट के हक में विवादित आराजी बाबत् नामान्तकरण संख्या 177 व 178 भी स्वीकृत किये गये हैं। रैस्पो0 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है जिससे उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का अवसर नहीं मिला है। परन्तु वर्तमान में प्रकरण में पक्षकारान के मध्य राजीनामा होकर, तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल है। अतः हम अपील अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रषित किया जाना उचित समझते हैं कि उभयपक्ष को सुनकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य के सन्दर्भ में राजीनामा का मूल्यांकन करते हुये एवं मुद्रांक व पंजीयन शुल्क को ध्यान में रखते हुये, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करें। लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

अखिलेश कुमार पिपल
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज0)

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.10.2000 अपास्त किये जाकर, प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठ भूमि में, पुनः विधि अनुरूप निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.11.2021 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैशल शुमार की जाकर, नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हों। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति एवं राजीनामा की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज0)

21-10-2021

(अखिलेश कुमार पिपल)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर